



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220132
CG-DL-E-24062020-220132

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1798]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ 3, 1942

No. 1798]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASADHA 3, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

का.आ. 2024(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसी अपेक्षा की जाती है कि रक्षा स्थापनों में उद्योग में लगी ऐसी सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 8 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होगी;

और केन्द्रीय सरकार ने अंत में यह घोषित किया है कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योग ऐसी लोक उपयोगी सेवा होगी, जिसे भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4526(अ), तारीख 18 दिसंबर, 2019 द्वारा 22 दिसंबर, 2019 से छह मास की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग के लोक उपयोगी सेवा की प्राप्ति की अवधि का छह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा स्थापनों के उद्योग में लगी सेवाओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा.सं. एस-11017/8/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2020

S.O. 2024(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the industry of defence establishments, which is covered under item 8 of the First Schedule to the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 22nd December, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4526 (E), dated 18th December, 2019;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the industry of defence establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of this notification.

[F.No. S-11017/8/2011-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.